

62

28

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
डी०के०एस० भवन, रायपुर 492001

रायपुर, दिनांक: / / 2007

:: संशोधित अधिसूचना ::

क०/ /बी-14-17/2002/14-2 :: विभाग के पत्र क्रमांक/1615/बी-14-17 /2002/14-2 दिनांक 20-4-2006 द्वारा जारी अधिसूचना में गठित एकजीक्यूटिव्ह काउंसिल में सचिव कृषि को सम्मिलित करते हुये सचिव कृषि को एकजीक्यूटिव्ह काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है तथा संचालक कृषि के समक्ष दर्शित "अध्यक्ष" शब्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर "सदस्य" शब्द स्थापित किया जाता है ।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रदीप कुमार दवे)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

रायपुर, दिनांक: 13/7/2007

DDA(S)
16-7-07

पृष्ठा. क०/ /बी-14-17/2002/14-2
प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग ।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली ।
4. महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का संस्थान) राजेन्द्र नगर, हैदराबाद ।
5. संचालक कृषि/पशु चिकित्सा सेवायें/उद्यान/मत्स्योद्योग/रेशम उद्योग ।
6. संचालक, छ.ग. राज्य प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर ।
7. प्रबंध संचालक, छ०ग० राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर ।
8. संचालक विस्तार सेवायें/अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ।
9. अशासकीय संगठन ।
10. तकनीकी अधिकारी, सी. आई. पी. एफ. सी. ।
11. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

12-7-07
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग